दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(165

1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक........ R 1556-III/14 सन् 2014

1– मत्थी पुत्री मगना धोबी

2– जगदीश तनय जयराम धोबी

3– जयराम तनय बद्री धोबी

समस्त निवासीगण ग्राम बृजपुरा तह0 छतरपुर

जिला छतरपुर म.प्र. ---- **निगरानीकर्तागण/आवेदकगण**

बनाम

1– श्रीमती मनकी पुत्री स्व0 मगना धोबी

नि0 ग्राम कुसवॉ तह0 महराजपुर

जिला छतरपुर म.प्र. --------**गैर निगरानीकर्तागण /अनावेदकगण**

- म0प्र0 शासन

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 235/निगरानी/अ–6–अ/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 3.4.2014 से असंतुष्ट होकर म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत ।</u>

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करते है–

1– यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक क्रं0–1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय छतरपुर जिसे आगे विचारण न्यायालय कहा जावेगा, के समक्ष विवादित भूमि का अभिलेख सुधार किये जाने हेतु दिनांक 23.8.2005 को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे प्रकरण कमांक 29/अ–6–अ/05–06 पर दर्ज किया गया था कि जिसमें अनावेदिका क्रं0–1 के द्वारा दस लोगों को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया गया था । उक्त प्रकरण में आवेदिका क्रं0–1 ने यह प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की थी कि 25 वर्ष पूर्व की प्रविष्टि को संशोधित किये जाने हेतु एक वर्ष की कालावधि कानून के अनुसार विहित की गई है। ऐसी स्थिति में अनावेदिका क्रमांक–1 द्वारा प्रस्तुत दावा अवधि बाहर होने तथा तहसीलदार न्यायालय द्वारा विचार योग्य न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया था । उक्त आपत्ति पर विचारण न्यायालय के द्वारा विधिवत् उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 13.1.2006 को आदेश पारित कर आवेदिका/निगरानीकर्ता की –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1556-तीन/2014 जिला छतरपुर मत्थी विरूद्ध मनकी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 235/निगरानी/अ-6-अ/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 03-04-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-05-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 08/01/19
सदस्य